न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 41/2019

1. नसरू खां पुत्र मोले खां
2. हासम अली खां पुत्र मोले खां
3. मैनुदीन खां पुत्र हमीद खां
4. युसुफअली पुत्र आलम अली खां
   समस्त जाति कायमखानी मुसलमान निवासीगण ग्राम बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0

वादीगण

बनाम

1. सबीर खां पुत्र यासीन खां
2. अब्बास खां पुत्र यासीन खां
   समस्त जाति कायमखानी मुसलमान निवासीगण ग्राम बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
3. पटवारी हल्का, बेसवा
4. तहसीलदार फतेहपुर जिला सीकर राज0

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता दुरूस्ती

उपस्थित अधिवक्ता
श्री महीपाल मूंड – वादीगण
श्री इमरान खान– प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः–17.05.2019

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बेसवा में कृषि भूमि खसरा नंबर 1198 रकबा 2.5700 हैक्टेयर अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि के पूर्व में खातेदार काबिज काश्तकार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पूर्वज मोले खां थे। मोले खां के पांच वारीस थे। उक्त कृषि भूमि पर मोले खां की मौजूदगी से लेकर उनकी मृत्यु हो जाने के बाद में उनके पांचों वारिस काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। मोले खां के पांच वारिसों में से कालान्तर में तीन वारिस की मृत्यु हो जाने पर उनके वरिस वादी संख्या 3 व 4 तथा प्रतिवादी संख 1 व 2 उनके हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने सहवन से मलवश खातेदारी में अकेले नाम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता यासीन खां का नाम अंकित कर दिया जबकि उक्त खातेदारी में कब्जे काश्त के आधार पर मोलेखां के पांचों वारिसों का नाम अंकित होना चाहिये था। कालान्तर में उक्त खातेदारी में यासीन खां की मृत्यु हो जाने पर विरासतन नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम अंकित हो गये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

को दुरूस्त कर प्रत्येक वादी को 1/5, 1/5 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/5 हिस्से का खातेदार अंकित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है।

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को कई मर्तबा उक्त गलत खातेदारी को निरस्त कर वादीगण को समान रूप से खातेदार अंकित करने के लिये कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे परन्तु दिनांक 20.04.2019 से स्पष्ट रूप से मना कर दिया इसलिये यह वाद लाना पड़ा यही वाद कारण है।

वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि ग्राम बेसवा में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1198 रकबा 2.57 है0 के खातेदार अब्बास खां व सब्बीर खां पुत्रगण यासीन खां के नाम अंकित खातेदारी को निरस्त कर उनके स्थान पर प्रत्येक वादीगण को 1/5, 1/5 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित कर तदनुसार राजस्व प्रलेखों में अंकन किया जावे।

मिसल मुर्तिव की जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री इमरान खान एड. ने वकालतनामा पेश किया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य राजीनामा पेश हुआ। बहस वकुलाय फरीकेन सुनी गयी।

पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया एवं वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मध्य राजीनामा हो चुका है। वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर ग्राम बेसवा की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1198 रकबा 2.57 है0 के खातेदार अब्बास खां व सब्बीर खां पुत्रगण यासीन खां के नाम अंकित खातेदारी को निरस्त कर उनके स्थान पर प्रत्येक वादीगण को 1/5, 1/5 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

(रेखा मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीक

निर्णय आज दिनांक 17.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीक